रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/13-14/93.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 23 नवम्बर, 1993/2 अग्रहायण, 1915

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अगस्त, 1992

संख्या एल0एल0आर0 (राजभाषा) बी(16)2/92.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश सिनेमा (रेग्युलेशन) ऐक्ट, 1979 (1979 का 4)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा

रूपान्तर का एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1979

(1979 का 4)

(31-3-1992 को यथाविद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में चलचित्रों के द्वारा प्रदर्शनियों को विनियमित करने का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1979 है।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह अधिनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "चलचित्र" के अन्तर्गत गतिमान चित्रों या चित्रों की आवली का प्रदर्शन करने के लिए कोई यंत्र भी है ;

(ख) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रत है ;

(घ) "राजपत्र" से हिमाचल प्रदेश राजपत्र अभिप्रेत है ;

(ङ) "स्थान" के अन्तर्गत कोई गृह इमारत, तम्बू (टैन्ट) और परिवहन का कोई प्रकार, चाहे समुद्र, स्थल या वायु द्वारा हो, भी है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

चलचित्र प्रदर्शनियों का अनुज्ञप्त किया जाना।

3. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति, चलचित्र के द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त से अन्यत्र स्थान पर या ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा अधिरोपित किन्हीं शर्तों और निर्बन्धनों के अनुपालन से अन्यथा, प्रदर्शन नहीं करेगा।

अनुज्ञापन प्राधिकारी।

4. इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियां देने के लिए सशक्त प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा गया है) जिला मैजिस्ट्रेट होगा :

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश या इसके किसी भाग के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे यह उसमें विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में नियत कर सकेगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों पर निर्बन्धन।

5. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन तब तक अनुज्ञप्ति नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि —

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है, और

(ख) उस स्थान पर जिसके बारे में अनुज्ञप्ति दी जानी है, वहां प्रदर्शनी में हाजिर होने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त पूर्वाधिनियां बरती गई हैं।

(2) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों और सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अनुज्ञापन अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को, जैसे वह उचित समझे, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, और ऐसे निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसे विहित कि जाएं, अनुज्ञप्तियां दे सकेगा या, उसके लिए इसके कारण अभिलिखित करने के पश्चात् कोई ऐसी अनुज्ञप्ति देने से इन्कार कर सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने के अनुज्ञापन अधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, सरकार या ऐसे अधिकारी को जिसे सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अपील कर सकेगा और, यथास्थिति, सरकार या अधिकारी मामले में ऐसे आदेश, जो यह या वह ठीक समझे, कर सकेगी/सकेगा।

(4) सरकार, समय समय पर, किसी फिल्म या फिल्मों के वर्ग की प्रदर्शनी को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञप्तिधारियों को साधारणतया या किसी अनुज्ञप्तिधारी को विशिष्टतया निर्देश जारी कर सकेगी, ताकि वैज्ञानिक फिल्मों, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए आशयित फिल्मों, समाचारों और सामयिक घटनाओं से सम्बन्धित फिल्मों, वृत्तचित्र फिल्मों या देशी फिल्मों के प्रदर्शन का पर्याप्त अवसर सुनिश्चित हो सके और जहां ऐसे कोई निर्देश जारी किए गए हों, तो वे निर्देश अतिरिक्त शर्तें और निर्बन्धन समझे जाएंगे जिनके अध्याधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

कुछ मामलों में फिल्मों की प्रदर्शनी को निलम्बित करने की सरकार शक्तियां या स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति।

6. (1) सरकार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश या उसके किसी भाग के बारे में और जिला मैजिस्ट्रेट, अपनी अधिकारिता के भीतर के जिला के बारे में, यदि, यथास्थिति, सरकार की या उसकी यह राय है कि किसी फिल्म से जो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जा रही है शांति भंग होने की संभावना है; आदेश द्वारा, फिल्म के प्रदर्शन को निलम्बित कर सकेगी/सकेगा और ऐसे निलम्बन के दौरान फिल्म, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के भाग या जिले में, अप्रमाणित फिल्म समझी जाएगी।

(2) जहां ऐसा आदेश उप-धारा (1) के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, तो जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा उसकी एक प्रतिलिपि उसके कारणों के कथन सहित, तुरन्त सरकार को भेजी जाएगी, और सरकार आदेश को या तो पुष्ट या विखण्डित कर सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन किया गया आदेश, उसकी तारीख से दो मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, किन्तु यदि सरकार की यह राय है कि प्रवृत्त आदेश जारी रहना चाहिए, निदेश देगी कि निलम्बन की अवधि, ऐसी अवधि तक आगे बढ़ाई जाएगी जो यह ठीक समझे।

7. यदि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों, अथवा उन शर्तों और निर्बन्धनों जिन पर या जिनके अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति दी गई है, के उल्लंघन में, चलचित्र का स्वामी या उसका भारसाधक व्यक्ति उसका उपभोग करता है अथवा किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान का प्रयोग करना अनुज्ञात करता है तो वह और उस व्यक्ति का प्रबन्धक, सेवक और एजेन्ट भी, जिसको अनुज्ञप्ति

दी गई है, अपराध के दोषी होंगे, और दोष सिद्धि पर, जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, और, अपराध के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु, वह व्यक्ति जिसको अनुज्ञप्ति दी गई है, यथापूर्वोक्त अपराध का दोषी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि उसके नियोजन में किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना हुआ है, और यह कि कर्मचारी या एजेन्ट उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से काम नहीं कर रहा था, और उसने अपराध के लिए जाने या उसके जारी रहने का निवारण करने के लिए, सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

अनुज्ञप्ति को निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहृत करने की शक्ति।

8. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी, किसी भी समय धारा 5 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहृत कर सकेगी।सकेगा, अर्थात :—

(क) अनुज्ञप्ति कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त की थी ;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों अथवा अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त या निर्बन्धन, अथवा धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश को भंग किया है;

(ग) अनुज्ञप्त स्थान के परिक्षेत्र में कोई परिवर्त्तन होने के कारण, अनुज्ञप्ति का चालू रहना शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल समझा जाता है ;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी, इस अधिनियम की धारा 7 या चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 7 अथवा पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 11) की धारा 7 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी को हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का 12) की धारा 18 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कम से कम दो बार दोषसिद्ध ठहराया गया है, या उस अधिनियम की धारा 19 के अधीन ऐसे अपराध का कम से कम दो बार प्रशमन किया है ;

(च) अनुज्ञप्तिधारी पर, खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 17 के अधीन, कम से कम दो बार शास्ति अधिरोपित की गई है ।

(2) जहां सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि धारा 5 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहृत कर दी जानी चाहिए, वहां वह, यथाशक्यशीघ्र, अनुज्ञप्तिधारी को उन आधारों को संसूचित करेगी जिन पर कारवाई की जानी प्रस्तावित है और उसे की जाने के लिए प्रस्तावित कारवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्ति युक्त अवसर देगी/देगा।

(3) यदि, ऐसा अवसर प्रदान करने के पश्चात् यथास्थिति, सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति निलम्बित, रद्द या प्राप्त-संहृत की जानी चाहिए तो वह आदेश अभिलिखित करेगी। करेगा जिसमें उस आधार या आधारों का कथन किया जाएगा जिन पर आदेश किया गया है, और उसे लिखित रूप में अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित करेगी/करेगा।

(4) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहृत करने का आदेश पारित किया गया है, वहां आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति,

ऐसे आदेश के उसको संसूचित किए जाने से तीस दिन के भीतर, सरकार को अपील कर सकेगा जो ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो यह ठीक समझे।

(5) सरकार का आदेश अन्तिम होगा।

नियम बनाने की शक्ति।

9. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

(क) वह प्रक्रिया विहित करना जिसके अनुसार अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की जा सकेगी और निबन्धन, शर्तें और निर्बन्धन, यदि कोई हों, जिनके अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी ;

(ख) लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलचित्र प्रदर्शनियों को विनियमित करने के लिए उपबन्ध करना ;

(ग) वह समय जिसके भीतर और शर्तें विहित करना जिनके अधीन रहते हुए धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अपील की जा सकेगी ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त स्थानों में प्रवेश और निकास के साधनों को विनियमित करना, और विघ्नों की धमकी के निवारण के लिए उपबन्ध करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त स्थान में प्रवेश के लिए किसी टिकट या पास को उसे चाहें किसी भी नाम से पुकारा जाए, विक्रय को विनियमित या प्रतिषिद्ध करना।

(2) इस धारा के अधीन नियम बनाते हुए सरकार यह उपबन्ध कर सकेगी कि किसी नियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहने या उल्लंघन करने पर कोई व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा। उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन बनाए गए किसी नियम क उपबन्धों क अनुपालन की असफलता या उल्लंघन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अर्थों के अन्तर्गत संक्षेय अपराध होगा।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति राजपत्र में पूर्व प्रकाशन की शर्तें के अधीन होगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है तो तत्पश्चात् वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु, नियम क ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

छूट देने की शक्ति।

10. सरकार, ऐसी शर्तों और निबंन्धनों के अधीन रखते हुए जैसे यह अधिरोपित करे, लिखित आदेश द्वारा, किसी चलचित्र प्रदर्शनी या चलचित्र प्रदर्शनियों के वर्ग और चलचित्र प्रदर्शनी के उपयोग के लिए आशयित किसी परिसर या स्थल को भी, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकेगी।

निरसन और व्यावृत्तियां।

11. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 11) का और प्रथम नवम्बर, 1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के भाग-3 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु की गई कोई बात या कारवाई (जिस के अन्तर्गत की गई कोई नियुक्ति, जारी की गई अधिसूचना, आदेश या निदेश, विरचित नियम, जारी, रद्द, निलम्बित या प्रतिसंहृत की गई कोई अनुज्ञप्ति और कोई प्रारम्भ की गई या जारी रखी गई कार्यवाही भी है) जहां तक वह इस अधिनियम में असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक की गई किसी बात द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।